ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

भारतीय महिला और घरेलू हिंसा

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, SBRM Govt. College , Nagaur, Rajasthan, India

सार

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में जारी महिला संरक्षण अधिनियम को 26 अक्तूबर, 2006 को कानून का रूप देकर लागू किया गया। इसमें महिलाओं से शारीरिक दुव्र्यवहार, उन्हें शारीरिक पीड़ा पहुंचाने, उनके जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने या उनसे लैंगिक दुव्र्यवहार को अपराध माना गया है। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट में बताया गया था कि विवाहित महिलाओं में लगभग 8 प्रतिशत महिलाएं यौन हिंसा तथा 41 प्रतिशत महिलाएं अन्य विभिन्न प्रकार की हिंसा तथा शारीरिक उत्पीडन की शिकार होती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में देश में हुई 153,052 आत्महत्याओं में से गृहिणियों की सं या 14.6 प्रतिशत थी जिसके लिए मुख्यत: पारिवारिक समस्याओं या विवाह से जुड़ी समस्याओं को जिम्मेदार बताया गया। मनोवैज्ञानिकों डा. ऊषा वर्मा श्रीवास्तव तथा सोमित्र पठारे का कहना है, ‘‘महिलाएं अत्यंत सहनशील होती हैं परंतु सहने की भी एक सीमा होती है। भारत में अधिकांश आत्महत्याएं आवेश में होती हैं। पति घर आता है, पत्नी को पीटता है और वह अपनी जान दे देेती है।’’

महिलाओं की आत्महत्या का एक बड़ा कारण घरेलू हिंसा है। कुछ समय पूर्व करवाए गए एक सरकारी सर्वे के अनुसार 30 प्रतिशत महिलाओं के साथ उनके पतियों, ससुरालियों या अन्य रिश्तेदारों ने विभिन्न रूपों में हिंसा की जिसके मात्र फरवरी माह के ही उदाहरण निम्र में दर्ज हैं :

* 2 फरवरी को अहमदाबाद की रहने वाली युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि शादी के बाद उसका पति उसे पोलैंड ले गया जहां उसे पता चला कि वह महाशराबी व बदचलन है और जब उसने आपत्ति की तो वह उसे मारपीट कर भारत उसके मायके में छोड़कर वापस पोलैंड चला गया।
* 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करीमगंज में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते अपनी पत्नी को बुरी तरह मारपीट करके घायल कर देने के आरोप में नितिन नामक एक युवक को गिर तार किया गया।

* 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कंचन नोनिया नामक युवती को उसके पति सुधीर नोनिया ने किसी बात पर आवेश में आकर जिंदा जलाकर मार डाला। दुर्गंध आने पर जब पड़ोसियों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाकर पूछा कि किस चीज की बदबू आ रही है तो उसने जवाब दिया कि मैं एक खास तरह का मीट पका रहा हूं।
* 14 फरवरी को फरीदकोट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी की मारपीट करने के बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।
* 15 फरवरी को ग्वालियर में ड्यूटी से लौट रही निर्मला केन नामक महिला को रास्ते में घेर कर उसके पति प्रदीप केन तथा उसके जीजा राजेश और मोहन ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि निर्मला के साथ-साथ उसे बचाने आई उसकी बुआ को भी लात-घूंसों से पीट कर लहूलुहान कर दिया।

* 15 फरवरी को ही अहमदाबाद में एक महिला ने एक महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसने अपने पति को दूध देने से पहले अपने बच्चों को दे दिया था। महिला ने यह भी शिकायत की कि उसके सास-ससुर दहेज के लिए उसे तंग करते और मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर करते थे।
* 15 फरवरी वाले दिन ही बेंगलूरू में एक एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उससे बदला

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

लेने के लिए उसे नशा खिला कर उसके साथ असुरक्षित सैक्स करने का शर्मनाक मामला सामने आया जिसके विरुद्ध महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

* 16 फरवरी को लुधियाना के गांव बुलारा में दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा अपनी बहू की हत्या कर देने के आरोप में 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करके मृतका के पति, ससुर और जेठ को हिरासत में लिया गया।
* 17 फरवरी को 8-9 महीने मायके में रहने के बाद कुछ ही दिन पहले फरीदकोट में ससुराल लौटी अपनी पत्नी की उसके पति ने घरेलू कलह के चलते कस्सी से अंधाधुंध वार करके जान ले ली।
ऐसी ही घटनाओं के दृष्टिगत घरेलू हिंसा के एक मामले में 30 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल ने कठोर टिप्पणी की है कि ''विवाह स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में तय किए जाते हैं।''
स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून होने के बावजूद इस पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन न होने के कारण महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होने को विवश हैं और जब तक इस कानूनी प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक महिलाओं पर घरेलू हिंसा और उत्पीडन समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा की शिकार महिला के हित को सुरक्षित रखने के संबंध में गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। 'साझा घर में रहने का अधिकार' शब्द की व्यापक व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे केवल वास्तविक वैवाहिक निवास तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि संपत्ति पर अधिकार की परवाह किए बिना इसे अन्य घरों तक बढ़ाया जा सकता है।[1]

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उत्तराखंड की एक विधवा की याचिका पर यह फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें याचिकाकर्ता को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत राहत देने से इन्कार कर दिया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि संरक्षण अधिकारी द्वारा महिला के साथ घरेलू हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि कई हालात और परिस्थितियां हो सकती हैं और घरेलू रिश्ते में रहने वाली हर महिला साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है, भले ही उसका साझा घर पर कोई अधिकार या लाभकारी हित न हो। उपरोक्त प्रविधान के तहत किसी भी महिला द्वारा उक्त अधिकार को स्वतंत्र अधिकार के रूप में भी लागू किया जा सकता है। पीठ की तरफ से 79 पेज का फैसला लिखते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर उपरोक्त अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी की घरेलू हिंसा की रिपोर्ट नहीं भी हो तो भी पीड़ित महिला के साझा वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को लागू किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह आदर्श स्थिति है कि शादी के महिला अपने पति के साथ रहती है। किसी उचित कारण से वह अपने वैवाहिक साझा घर में नहीं भी रहती है तब भी उसे अपने पति के घर में रहने का अधिकार है। इसमें वह घर भी आता है जिसमें उसके पति के परिवार के सदस्य रहते हैं, भले ही वह किसी अन्य स्थान पर ही क्यों न हो।[2]

पति और पत्नी के रिश्ते में क्या अहम होता है? प्यार, आपसी सूझ-बूझ, बच्चे, परिवार, नोक-झोंक, टकरार और थोड़ी सी मार. जी हां, मार यानी पिटाई जो भरत में हर 10 में से 6 पति अपनी पत्नियों की करते हैं. ये वो देश है जहां नवरात्री पर दुर्गा मां की पूजा की जाती है और घर की लक्ष्मी की पिटाई भी.

भारत में घरेलू हिंसा जितनी विकराल है उतने ही सरल उसके मायने हैं. भारतीय घरेलू हिंसा यानी पति-पत्नी का प्यार ... क्योंकि हमारे समाज में उसे हिंसा थोड़ी कहा जा सकता है वो तो पति और पत्नी का हक है. अधिकतर भारतीय महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है. भारत में 2005 में घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA)) बनाया गया था. अभी ये कानून ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है.

2015 तक के आंकड़ों को देखें तो 10 सालों में इस एक्ट के जरिए सिर्फ 10 लाख केस ही दर्ज किए गए. इसमें पति की क्रूरता, दहेज प्रताड़ना आदि मामले शामिल हैं. NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 88467 महिलाएं यानि हर दिन 22 दहेज से जुड़े मामलों

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

का शिकार होकर मारी गईं. इन सभी आंकड़ों में रोज़ाना पति की मार खाने वाली कई महिलाओं का नाम है ही नहीं. पर क्या आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है? नवंबर 2014 में हुए IndiaSpend के सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 मर्द ये मानते हैं कि उन्होंने घर पर पत्नी के साथ हिंसा की है.

चलिए कुछ नए आंकड़े देखते हैं. 2018 की बात करते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया National Family Health Survey (NHFS-4) का डेटा कहता है कि हर तीसरी महिला ये मानती है कि 15 साल की उम्र के बाद उसने किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा झेली है. चलिए दो मिनट के लिए अमेरिका को भूल जाते हैं और सिर्फ भारत की बात करते हैं. 31 प्रतिशत शादीशुदा महिलाएं अपने पतियों से पिटती हैं यानी औसत हर 3 में से 1 महिला. इसके अलावा, कई महिलाएं सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक शोषण की भी शिकायत करती हैं. आम तौर पर 13% महिलाओं का ये कहना है कि मानसिक शोषण उन्हें बहुत परेशान करता है. ये आंकड़े नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2018 के ही हैं. 15 साल की उम्र से लेकर लगातार शोषण सहती आ रही शादीशुदा महिलाओं में से 83% का कहना है कि उनके साथ हिंसा उनका पति ही करता है. इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इनमें से 8% महिलाओं की चोट दिखती हैं. किसी की आंख में चोट होती है, किसी को मार का निशान पड़ा होता है, किसी को जलाया गया होता है. इसमें से 6% को गहरी चोट या घाव आए होते हैं जिसमें चाकू से काटना, हड्डियां टूटना, दांत टूटना, जलाना आदि शामिल हैं.[3]

विचार-विमर्श

भारत में शोषण सहने वाली महिलाओं में से सिर्फ 14% ही इस शोषण को खत्म करने के बारे में सोचती हैं या कोई न कोई कदम उठाती हैं. भारतीय महिलाएं ऐसी शादियों में कई कारणों से बंधी रहती हैं, बच्चे, पैसों की कमी, घर का सपोर्ट न मिलना, अपने कानूनी हक की जानकारी न होना, डर वगैराह-वगैराह. मैंने भी बचपन से लेकर अभी तक एक कहावत बहुत बार सुनी है कि जहां डोली उठी है वहीं से अर्थी उठती है. मैं कहती हूं बहुत ही बकवास है ये बात कि जहां डोली उठकर गई है वहां से सिर्फ अर्थी उठेगी. अरे इससे पहले की अर्थी उठे क्यों न महिलाएं ही उठ जाएं. खुद को कमजोर समझने वाली किचन, बच्चों और घर संसार में बसने वाली महिलाओं के मुंह से अक्सर ये कहते सुना होगा कि, "मैं तो घर छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती. मैं तो अपने पति और बच्चों को अकेले छोड़कर कुछ दिन के लिए मायके भी नहीं जा सकती. मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा..." अगर कभी नहीं सोचा है तो क्यों वो सोच नहीं सकती? भले ही परिवार नहीं मान रहा, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी के लिए भी बगावत नहीं कर सकती.

कुछ लोगों को लगेगा कि मैं यहां पर महिलाओं को भड़का रही हूं. जी नहीं, न ही मैं उन्हें भड़काना चाहती हूं, न ही खुशहाल जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूं. मैं बस इतना चाहती हूं कि हर महिला अपनी जिंदगी के बारे में सोचे. ऐसा नहीं है कि शोषण की शिकार हर महिला तलाक ले ले या फिर अमेरिका के पदचिन्हों पर चलने लगे, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करे. चाहें वो घर परिवार से बात हो, पति के साथ बैठकर हल निकालना हो, या खुद कमाने और आत्मनिर्भर बनने की पहल हो. या फिर कानूनी मदद लेनी हो. सिर्फ चुप रहकर अर्थी उठने का इंतजार कर रही महिलाओं को ये कदम खुद के लिए तो उठाने ही होंगे. सबसे पहले हम घरेलू हिंसा (What is domestic violence) के बारें में समझे तो इसका मतलब है की कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा माना जाता है।[4]

परिणाम

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) में बना था फिर इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया।
यह अधिनियम महिला बाल विकास द्वारा ही संचालित किया जाता है। शहर में महिला बाल विकास द्वारा जोन के अनुसार आठ

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनते हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रकरण को न्यायालय भेजा जाता है।अधिनियम, 2005 की धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग हेतु दण्ड के लिए प्रावधान करती है। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश अथवा अन्तरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा और ऐसी अवधि से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसी भांति के कारावास से अथवा ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। घरेलू हिंसा किसी भी तरह का व्यवहार है जिसे हिंसा या उत्पीड़न कहा जा सकता है, विशेष रूप से "घरेलू" सेटिंग में। घरेलू हिंसा को आमतौर पर पत्नियों द्वारा घरों में हिंसा के रूप में समझा जाता है। हालाँकि, किसी भी तरह के घरेलू शोषण को घरेलू हिंसा के रूप में भी कहा जा सकता है, भले ही यह किसी के ससुराल, माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया हो। "घरेलू हिंसा", घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार, वास्तविक दुरुपयोग या धमकी या शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक भी शामिल है। यहां तक कि महिला या उसके रिश्तेदारों के लिए गैर-कानूनी दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न इस परिभाषा के तहत आता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है दुर्व्यवहार में नुकसान या चोट या स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या अच्छी तरह से (मानसिक या शारीरिक रूप से) पीड़ित व्यक्ति को खतरे में डालना शामिल है। [11]

दुर्भाग्य से, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा भारत की प्रमुख दबाव समस्याओं में से एक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों (NFHS) के अनुसार, अनुमानित 37% भारतीय महिलाओं ने अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन प्रकृति की हिंसा का अनुभव किया है। हालाँकि, लगभग 75% महिलाएँ, जिन्होंने घरेलू स्तर पर दुर्व्यवहार की सूचना दी, ने किसी तीसरे व्यक्ति / संगठन / पुलिस से सहायता या सहायता लेने के लिए कदम नहीं उठाए। [10] भारत में सबसे अधिक प्रभावी और व्यापक आपराधिक कानून है। महिलाओं के प्रति क्रूरता को लेकर इस संहिता में कई संशोधन किए गए हैं। ऐसा ही एक संशोधन वर्ष 1983 में किया गया था, जिसके माध्यम से आईपीसी में एक विशेष धारा - धारा 498 ए जोड़ी गई थी। धारा 498 ए में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता शामिल है - उनके पति या उनके परिवार द्वारा। महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से इस धारा को लागू किया गया था। यह महिला रिश्तेदारों को किसी भी ऐसी क्रूरता के बारे में महिला की ओर से शिकायत करने की अनुमति देता है। अक्टूबर 2006 में लागू किया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा, आपराधिक प्रभाव और नागरिक उपचार के साथ मिलकर उन महिलाओं को बचाने का उद्देश्य है, जो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं, उन्हें प्रभावी उपचार प्रदान करके। यह अधिनियम विवाह से बाहर के रिश्तों को भी शामिल करता है और इसका उद्देश्य परिवार की अन्य महिला सदस्यों की भी रक्षा करना है, जैसे कि माँ, अविवाहित बेटी आदि। पहली बार इस अधिनियम में 'घरेलू हिंसा' को परिभाषित किया गया था और हिंसा के दायरे को व्यापक बनाया गया था। 'मौखिक और भावनात्मक शोषण', 'आर्थिक दुर्व्यवहार', साथ ही 'शारीरिक शोषण' के साथ-साथ 'यौन शोषण' को भी शामिल करना।

घरेलू हिंसा की शिकायत 'पीड़ित व्यक्ति' या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। इस अधिनियम में 'उत्तेजित व्यक्ति' की परिभाषा भी शामिल है, जो महिलाएं अपने सहयोगियों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। इस तरह के कृत्यों के खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, जो कानून तोड़ने वाले पति या परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं और महिला के साथ 'घरेलू संबंध' में हैं। पति की महिला रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है।महिलाओं को अपने 'साझा घर' में रहने का अधिकार अधिनियम में मान्यता प्राप्त है और जैसा कि वह अपने पति के साथ इसे सही तरीके से साझा करती है, उसे इससे बेदखल नहीं किया जा सकता है। निष्कासन के मामले में, उसे मुफ्त कानूनी और चिकित्सीय सहायता के साथ-साथ मौद्रिक क्षतिपूर्ति और सुरक्षित आश्रय लेने का अधिकार है।अधिनियम द्वारा चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा अधिकारी, नि: शुल्क आदेश आदि प्रदान किए जाते हैं जो पीड़ित महिला की सुरक्षा में मदद करते हैं।[5]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा मामले की शुरुआत करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचित करें - एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को घरेलू हिंसा के बारे में सूचित किया जा सकता है जो किसी भी महिला को दिया गया है या होने की संभावना है। पीड़ित महिला के अधिकारों को ऐसे संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया जाता है जो शिकायत प्राप्त करता है या अपराध की घटना के दौरान मौजूद था।

2. संरक्षण अधिकारी द्वारा एक घरेलू घटना की रिपोर्ट तैयार करना - संरक्षण अधिकारी फिर एक घरेलू घटना की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देता है। यदि पीड़ित व्यक्ति इच्छा करता है, तो रिपोर्ट सुरक्षा आदेश के लिए राहत का दावा भी कर सकती है। रिपोर्ट की प्रतियां भी पुलिस अधिकारी को थाने के प्रभारी को स्थानीय सीमा के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिसमें घरेलू हिंसा कथित रूप से हुई हो।[6]

3. सुनवाई की पहली तारीख तय करने के लिए मजिस्ट्रेट - सुनवाई की तारीख मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित व्यक्ति या उनकी ओर से किसी व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी से आवेदन प्राप्त करने पर निर्धारित की जाती है, जो आमतौर पर प्राप्ति से 3 दिन से परे नहीं होती है मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन। यह मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने का लक्ष्य है।

4. उत्तरदाता को नोटिस- मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित होते ही संरक्षण अधिकारी को एक नोटिस भेजा जाता है, जिसके बाद सुरक्षा कार्यालय को सूचना देने वाले को प्राप्ति की तारीख से 2 दिनों के भीतर सूचित करना होता है (जब तक कि कोई एक्सटेंशन न हो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है)।

5. मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध अन्य विकल्प - पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी को सेवा प्रदाता के एक सदस्य के साथ, परामर्श या तो अकेले या संयुक्त रूप से परामर्श करने के लिए कहा जा सकता है। एक व्यक्ति, जो परिवार कल्याण के प्रचार की दिशा में काम कर रहा है, मजिस्ट्रेट द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मदद मांगी जा सकती है।[7]

6. मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करना- घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई के बाद, मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश, निवास आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश, मौद्रिक राहत या हिरासत आदेश पारित कर सकता है। अंतरिम और पूर्व-पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जा सकता है, जब उसे लगता है कि यह आवश्यक है और संतुष्ट है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को भड़काया है।

7. आदेश के उल्लंघन के मामले में - यदि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रतिवादी द्वारा भंग कर दिया जाता है, तो वह इस अधिनियम के तहत एक वर्ष तक की सजा के साथ, या रुपये से अधिक नहीं के दंड के साथ उत्तरदायी होगा। 20,000 / -।

8. अपील का अधिकार - मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए 30 दिनों के भीतर अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जो पक्ष उसी के द्वारा दुखी महसूस करता है। न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

भारत सरकार के कई गैर सरकारी संगठनों और विभागों, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपरोक्त अधिनियम से प्रभावित महिलाओं के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित करने, उनके अधिकारों, कानूनी उपायों, अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं आदि के बारे में जानने और जानने की पहल की है। ।[8]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 7, July 2019

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 भी एक क़ानून है जो दहेज लेने और देने वालों को दंडित करता है, इस प्रकार महिलाओं को उनकी घरेलू व्यवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है या दहेज लेता है, तो उसे 6 महीने की कैद हो सकती है और / या उसे आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है। [9]

संदर्भ

1. *आचार्य, एन. के. घरेलू हिंसा अधिनियम*, 2005 *से महिलाओं के संरक्षण पर टिप्पणी* {2 *श्*" *एड।*, 2007), *हैदराबाद, एशिया लॉ हाउस*
2. *ए. एस. अल्टेकर, हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति: प्रागैतिहासिक टाइम्स से वर्तमान दिवस तक*, (1978), *मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली*
3. *एग्नेस, फ्लाविया, वीमेन एंड लॉ इन इंडिया*, (2006), *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दबाएँ।*
4. *आहूजा, राम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा*, (1998), *रावल प्रकाशन*
5. *अग्नि, फ्लानिया, कानून और लिंग असमानता*, (2001), *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली*
6. *अल्फ्रेड डी सूजा, वीमेन इन कंटेम्परी इंडिया: ट्रेडिशनल इमेजेज एंड चेंजिंग रोल्स*, (1977), *मनोहर बुक सर्विस, नई दिल्ली*
7. *अम्मू जोसेफ और कल्पना शर्मा, किसकी खबर? द मीडिया एंड वूमेन इश्यू*, (1994), *सेज पब्लिकेशन्स, इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली*
8. *अंजू व्यास और सुनीता सिंह, भारत में महिला अध्ययन*, (1993), *सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली*
9. *अग्रवाल, एच. ओ., मानव अधिकार अनुबंधों का कार्यान्वयन, इलाहाबाद*, 1983
10. *अल-इस्सा, शिरीन कुडचेडकर सबीना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा: हिंसा के खिलाफ महिलाएं, दिल्ली (* 2000)
11. *अली बेग तारा, भारत की महिला शक्ति*, (1976), *एस. चंद एंड कंपनी, प्रा। लिमिटेड*